रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 8 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 17, 1942 शक संवत्) [संख्या 31

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	863–868	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	583–595	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	135–137	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	391–393	975
स्टोर्स–पचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

20 जुलाई, 2020 ई0

सं0 444/दो-4-2020—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2018 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को वेतनमान रु0 27,700-770-35,090-920-40,450-1,080-44,770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	लोक सेवा आयोग की सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान पता
1	2	3	4	5
1	013651	250	श्री अजीत कुमार मिश्र पुत्र श्री राजेन्द्र प्रकाश मिश्र	श्री राजेन्द्र प्रकाश मिश्र, ग्राम 161 कस्बा खास, पोस्ट-जमाल मिर्जापुर, थाना घोसी, जनपद-मऊ, उ0प्र0-275105

2—प्रश्नगत नियुक्ति दिव्यांगजन हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 9096/2013, भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 तथा परिवाद संख्या 600/2018/16 श्रीमती प्रियंका मिश्रा बनाम अजीत कुमार मिश्र व अन्य एवं रिट याचिका 630/2020, श्री अखिलेश कुमार मिश्र व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होंगी।

3—उक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

तैनाती/स्थानान्तरण

15 जुलाई, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-588-8/11-2020-106/19टीसी—वाणिज्य कर विभाग के श्री संजीव कुमार, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन द्वितीय गाजियाबाद को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, झांसी के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-9/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के श्री अशफाक अहमद, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन प्रथम कानपुर को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 (उ0न्या0का0), प्रयागराज के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-10/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के श्री प्रदीप कुमार सिंह प्रथम, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर झांसी को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 जोन प्रथम, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री ओम प्रकाश सिंह-II, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 जोन द्वितीय, कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-1/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विजय कुमार मिश्रा, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, जोन द्वितीय, गाजियाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-2/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री दया शंकर तिवारी, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, प्रयागराज के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-3/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री अरविन्द कुमार-I, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, मुरादाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-4/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री राजेश कुमार कटियार, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, सहारनपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-5/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री बाबूलाल, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, गोरखपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-6/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री सूर्य नारायण, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, अयोध्या के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-588-7/11-2020-106/19टीसी–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विनय, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, अलीगढ़ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

22 जुलाई, 2020 ई0

सं0 राज्य कर-1-658/11-2020-107/19–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील), सोनभद्र के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-1/11-2020-107/19–वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), अयोध्या के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-2/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री ओम प्रकाश तिवारी, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर को दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ के पद पर तथा दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—श्री ओम प्रकाश तिवारी, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ की संयुक्त सचिव, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन के पद पर तैनाती दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से प्रभावी मानी जायेगी।

सं0 राज्य कर-1-658-3/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री विजेन्द्र कुमार शुक्ला, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील), मथुरा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-4/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री बृजेश कुमार मिश्रा, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील द्वितीय), लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-5/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री ऋषिकेश प्रताप राव दीक्षित, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील द्वितीय), कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-6/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के नवपदोन्नत श्री आनन्द कुमार सिंह-I, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), प्रयागराज के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-7/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के श्री अरविन्द कुमार-III, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर को एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), जोन-द्वितीय कानपुर के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-8/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के श्री चन्द्र भूषण सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील प्रथम), नोएडा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-9/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के श्री दिनेश कुमार मिश्रा, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) जोन-द्वितीय कानपुर को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील द्वितीय), आगरा के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-10/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के श्रीमती अनुपमा गोयल, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (अपील द्वितीय) कानपुर को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील द्वितीय), मुरादाबाद के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 राज्य कर-1-658-11/11-2020-107/19—वाणिज्य कर विभाग के श्री सुनील कुमार राय, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) मुरादाबाद को स्थानान्तरित करते हुये एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2, वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ के पद/स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
संयुक्त सचिव।

विधायी विभाग

अनुभाग-1

तैनाती

10 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1011/79-वि0-1-20-39(अधि0)वि0/2017—विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप (नियुक्ति-पत्र) संख्या 816/79-वि0-1-20-39(अधि0)वि/2017, दिनांक 24 जून, 2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा में भर्ती हेतु विधीक्षण अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500 (पुराना वेतनमान वेतन बैण्ड-3) के तत्सदृश्य (वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 तत्सदृश्य ग्रेड वेतन रु0 5,400) में चयनित एवं संस्तुत कु0 पल्लवी वर्मा पुत्री श्री छोटे लाल वर्मा, एम0एम0डी0-1-186, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ (रजिस्ट्रेशन क्रमांक 53100335029) को एतद्द्वारा विधायी अनुभाग-1 में विधीक्षण अधिकारी के पद तैनात किया जाता है।

2—कु0 पल्लवी वर्मा की सेवायें उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 सपठित उत्तर प्रदेश सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेशों के अधीन शासित होंगी।

आज्ञा से,
जे0पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

24 जुलाई, 2020 ई0

सं0 15/2020/760/छः पु0से0-1-2020-01(अधियाचन)/2020टी0सी0—चयन वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 20 जुलाई, 2020 को सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या 31/06/पी0/सेवा-1/2019-2020, दिनांक 21 जुलाई, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 11/2020/523/छः पु0से0-1-2020-01 (अधियाचन)/2020, दिनांक 03 जून, 2020 द्वारा 31 मई, 2020 तक एवं संख्या 13/2020/658/छः पु0से0-1-2020-01 (अधियाचन)/2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 द्वारा 30 जून, 2020 उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

2—अब चयन वर्ष 2019-2020 में 30 जून, 2020 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की उक्त संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्रतिसार निरीक्षक एवं दलनायक को उनके आसन्न कनिष्ठ की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान

(वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) में नोशनल प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्रमांक	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
		सर्वश्री–
1	25	राजकुमार सिंह-II
2	157	शिशिर त्रिवेदी

3–उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या 100/2019 श्री विनोद सिंह सिरोही व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा उसके साथ सहसम्बद्ध विशेष अपील संख्या 98/2019, 99/2019 तथा 103/2019 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4–उपर्युक्त प्रोन्नति कार्मिकों की तैनाती के आदेश निर्गत करने के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक के प्रोन्नत कोटा में चयन वर्ष 2019-20 में पदों के वास्तविक रूप से रिक्त होने के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा अपने पत्रांक डीजी-दो/ब-61ए/2019-20, दिनांक 27 जून, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की पुष्टि कर ली जायेगी।

5–उक्त प्रोन्नति कार्मिकों की तैनाती से पूर्व यह भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अनुशासनिक कार्यवाही आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे तथा यदि पुलिस उपधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

10 जुलाई, 2020 ई0

सं0 835सा0/2020-835सा0-23-1-20-34सा0/20–जनपद हाथरस के ग्राम लाखनू से लाड़पुर को जाने वाले लिंक मार्ग (हाथरस जक्शन से बेरगॉव मार्ग) अन्य जिला मार्ग श्रेणी के मार्ग का नाम "शहीद श्री मदनपाल सिंह" के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 345/02आईडी0एस0 प्रकोष्ठ/19, दिनांक 17 जून, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद हाथरस के ग्राम लाखनू से लाड़पुर को जाने वाले लिंक मार्ग (हाथरस जंक्शन से बेरगॉव मार्ग) का नामकरण "शहीद श्री मदन पाल सिंह मार्ग" किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–19 हिन्दी गजट–भाग 1–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 8 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 17, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION

NOTIFICATION

February 24, 2020

No. 26/VIIIc,

Correction Slip No. 265

In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I., with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

ALLAHABAD HIGH COURT (AMENDMENT) RULES, 2019

1. **Title and commencement:–**(i) These Rules may be called " Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2019."

   (ii) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definition:–**The Rules mean "Allahabad High Court Rules, 1952."

3. **Insertion of a new clause (xi) in Rule 25 of Chapter XVIII:–**The following clause shall be inserted after clause (x) under heading (A) of Rule 25 of Chapter XVIII of the Rules :–

   (xi) inquest.

By order of the Court,
AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

February 25, 2019

No. 48/VIIIc,

Correction Slip No. 263

In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I., with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

''Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2019.''

1. **Title and commencement:–**(i) These Rules may be called "Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2019."

   (ii) These Rules shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. **Definition:–**The Rule means "Allahabad High Court Rules, 1952."

3. **Insertion of a new clause (x) in Rule 25 of Chapter XVIII:–**the following provisions shall be inserted after clause (ix) under heading (A) of Rule 25 of Chapter XVIII of the Rules of the Court, 1952, Vol. l:–

(x) statements U/s 161 Cr. P.C. of those witnesses, who have deposed before the Trial Court.

April 06, 2019

No. 79/VIIIc,

Correction Slip No. 264

In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in Allahabad High Court Rules, 1952 Volume I., with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

'Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2019'.

1. **Title and commencement:–**(i) These Rules shall be called " Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2019."

   (ii) These Rules shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. **Definition:–**The Rule means " Allahabad High Court Rules, 1952."

3. **Amendment in Chapter XL-A:–**The provisions of Chapter XL-A of the Rules of the Court, 1952, VoI. I, shall be amended as follows:–

Existing Rules	***Amended Rule***
Chapter XL-A	**Chapter XL-A**
Copies of orders/judgment uploaded and maintained in electronic form on servers maintained in the High Court without movement of records:–	Certified/Authenticated copies of documents contained in digitized case files/electronically filed case files and copies of orders/ judgment uploaded and maintained in electronic form on servers maintained in the High Court without movement of records:–

Existing Rules	*Amended Rule*
Chapter XL-A	**Chapter XL-A**
1. Application for copy:–Any person, whether a party to a case or not, can apply for copy of order/judgment of the Court of the judicial records available in electronic form, on servers maintained in the High Court. Such application shall be addressed to the Deputy Registrar, Copying.	**1. Application for copy:–**Any person, whether a party to a case or not, can apply for copies of documents contained in digitized case files/electronically filed case files and copy of order/judgment of the Court of the judicial records available in electronic form, on servers maintained in the High Court. Such application shall be addressed to the Deputy Registrar (Copying).
2. Contents of application:–Every application for copy shall be written on the prescribed form and shall state:– (a) Name and address of the applicant. (b) Whether the applicant is party to the case of which the copy is sought. (c) Whether the copy is to be sent by post. (d) Full particulars of the order/judgment of which copy is sought, including the case type, case number, district and date of the order/judgment at Allahabad or at Lucknow.	**2. Contents of application:–**Every application for copy shall be written on the prescribed form and shall state:– (a) Name and address of the applicant. (b) Whether the applicant is party to the case of which the copy is sought. (c) Whether the copy is to be sent by post. (d) Full particulars of the documents contained in digitized case files/electronically filed case files and order/judgment of which copy is sought, including the case type, case number, district and date of the order/judgment at Allahabad or at Lucknow.
3. Copy by post:–Where the applicant desires that copy be sent by post, he will provide an envelop of the required size with requisite postage stamps affixed on the envelop, to cover the registration charges.	**3. Copy by post:–**Where the applicant desires that copy be sent by post, he will provide an envelop of the required size with requisite postage stamps affixed on the envelop, to cover the registration charges.
4. Time for presentation:–All applications for copy shall be received upto 11 a.m. in the morning and thereafter upto 3 p.m. in specified boxes. The copies shall be available from the specified counters between 2 p.m. to 4.30 p.m.	**4. Time for presentation:–**All applications for copy shall be received upto 11 a.m. in the morning and thereafter upto 3 p.m. in specified boxes. The copies shall be available from the specified counters between 2 p.m. to 4.30 p.m.
5. Grant of copies:–The applicant shall be provided copies of only those orders/judgments, which are uploaded on the server of the High Court, with authentication that the copy made available to the applicant is true and correct copy of the order or judgment uploaded and maintained in the electronic form on the server of the High Court, when the copy is prepared.	**5. Grant of copies:–**The applicant shall be provided copies of only those documents and orders/judgments, which are available in digital form on the server of the High Court, with authentication that the copy made available to the applicant is a true and correct copy of the document and order or judgment uploaded and maintained in the electronic form on the server of the High Court, when the copy is prepared. Provided that if any variation is noticed in certified copy, contents of hard copy, if any, and in the absence of hard copy, digitalized copy available on servers maintained by the High Court shall prevail.

Existing Rules

Chapter XL-A

6. Rejection of the application for copy:–An application shall be rejected, if it does not contain necessary particulars, and is not accompanied by sufficient stamps. If the order/judgment is not available in the electronic form on the server, the application without generating the folio number will be returned. The applicant shall have option to resubmit the application, or to present it for preparation of certified copy under Chapter XL of the Rules. The date of presentation in such case will be the date on which the application is resubmitted.

7. Scale of charges:–The following scale of charges is prescribed for the copies of orders/ judgments on servers in electronic form:–

Existing Rules

Chapter XL-A

(a) Interlocutory order	Rs. 15
(b) Judgment or final order	Rs. 15
(c) Deposition	Rs. 15
(d) Decree or formal order	Rs. 15

The order/ judgment or the documents with more than 10 pages shall attract additional charge of Rs. 10 for every next 5 pages or part thereof.

8. Free Copy:–For free copies, Rule 10 and 11 of Chapter XL shall be applicable. For all other purposes of preparation and delivery of copies Chapter XL, except for the Rules specifically made in this Chapter, shall apply.

Amended Rule

Chapter XL-A

6. Rejection of the application for copy:–An application shall be rejected, if it does not contain necessary particulars, and is not accompanied by sufficient stamps. If the digitized case files/electronically filed case files and order/judgment is not available in the electronic form on the server, the application without generating the folio number will be returned. The applicant shall have option to resubmit the application, or to present it for preparation of certified copy under Chapter XL of the Rules. The date of presentation in such case will be the date on which the application is resubmitted.

7. Scale of charges:–The following scale of charges is prescribed for the copies of digitized case files/electronically filed case files and orders/ judgments on servers in electronic form:–

Amended Rule

Chapter XL-A

(a) Interlocutory order	Rs. 15
(b) Judgment or final order	Rs. 15
(c) Deposition	Rs. 15
(d) Decree or formal order	Rs. 15
(e) Documents contained in digitized case files/ electronically filed case files	Rs. 15

The order/ judgment or the documents with more than 10 pages shall attract additional charge of Rs. 10 for every next 5 pages or part thereof.

8. Free Copy:–For free copies, Rule 10 and 11 of Chapter XL shall be applicable. For all other purposes of preparation and delivery of copies Chapter XL, except for the Rules specifically made in this Chapter, shall apply.

By order of the Court,
MAYANK KUMAR JAIN,
Registrar General.

जालौन स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

20 जून, 2020 ई0

सं0 1532/8-डी0एल0आर0सी0-शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1/2016-20(5)-2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	परासन	2658/6	0.142	नवीन परती	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग (सेवारत विभाग के पक्ष में) सोलर पार्क हेतु निःशुल्क भूमि।
					2660/3	0.660	नवीन परती	
					2662	3.407	बेहड़	
					2664	0.364	नवीन परती	
					2665/2	0.364	नवीन परती	
					3026	0.971	बेहड़	
					3030	0.963	बेहड़	
					3031	0.530	बेहड़	
					3037	6.402	बेहड़	
					3039/7	0.605	नवीन परती	
					3040 मि0	3.237 में से 1.617	नवीन परती	
					3134	0.162	बंजर	
					3140 मि0	3.371 में से 3.047	नवीन परती	
					3141 मि0	1.781 में से 1.295	बेहड़	
					3146/2	0.384	नवीन परती	
					3211	0.093	नवीन परती	
					3212 मि0	4.237 में से 4.176	बेहड़	
					3228 मि0	1.773 में से 0.964	बेहड़	
					3230/3	5.221 में से 0.120	बेहड़	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	परासन	3237/3	1.202	बंजर	
					3238/2	3.027	बेहड़	
					3253	0.421	बेहड़	
					3255/3	1.214	बेहड़	
					3267/2	1.562	बेहड़	
					3286	0.518	बेहड़	
					3287	0.462	बेहड़	
					3289/11	0.606	नवीन परती	
					3292	0.190	नवीन परती	
					3293	0.239	नवीन परती	
					3296/1	0.162	बंजर	
					3296/2	0.036	नवीन परती	
					3300	0.348	नवीन परती	
					3303	0.182	नवीन परती	
					3304/3	6.855	बेहड़	
					3305	0.101	नवीन परती	
					3306	0.146	नवीन परती	
					3310	0.384	नवीन परती	
					3312	0.134	बंजर	
					3315	0.688	बंजर	
					3322	0.405	बेहड़	
					3323	1.918	नवीन परती	
					3330	0.316	नवीन परती	
					3332	0.283	बंजर	
					3333/2	0.971	बंजर	
					3334	0.825	नवीन परती	
					3336	0.636	बेहड़	
					3337	1.461	बेहड़	
					3340/5	6.637	बेहड़	
					3341	0.146	नवीन परती	
					3342/2	1.546	बेहड़	
					3343	0.660	बेहड़	
					3344/3	0.388	नवीन परती	
					3347/3	0.720	नवीन परती	
					3348	1.084	बेहड़	
					3350	4.189	बेहड़	
					योग ..	66.928		

23 जून, 2020 ई0

सं0 1533(i)/8-डी0एल0आर0सी0-शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1/2016-20(5)-2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई, निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	उरई	उरई	रगेदा	40	हेक्टेयर 1.781 में से रकबा 1.500	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषिक हो। (बेहड़)	जनपद के सभी थानों पर पकड़े गये वाहनों को एक स्थान पर रखने हेतु यार्ड के निर्माण के लिये पुलिस विभाग (सेवारत विभाग) के पक्ष में निःशुल्क भूमि।

डा0 मन्नान अख्तर,
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

बांदा के जिलाधिकारी की आज्ञा

03 जुलाई, 2020 ई0

सं0 126 (7)/12-भूमि व्यवस्था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अमित सिंह बंसल, जिलाधिकारी, बांदा प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम सिन्धनकला बॉगर, तहसील पैलानी, जिला बांदा के श्रेणी-5-1 कृषि योग्य भूमि/नई परती के खाते में निम्नांकित गाटा संख्या 1306 रकबा 2.007 हे0, जिसकी मालियत रु0 12,64,410.00 (बारह लाख चौसठ चार सौ दस रुपये) मात्र को ग्राम सभा सिन्धनकला में वृहद गौसंरक्षण केन्द्र/गौवंश वन्य विहार स्थापित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी पैलानी की संस्तुति/आख्या पत्र संख्या 6903/र0का0 दिनांक 01 मई, 2020 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) की आख्या दिनांक 02 जुलाई, 2020 के क्रम में शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नही करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है :

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांदा	पैलानी	सिन्धनकला बांगर	सिन्धन कला	5-1 कृषि योग्य भूमि/नई परती खाता संख्या 2236	1306	हेक्टेयर 2.0070	वृहद गौसरंक्षण केन्द्र/ गौवंश वन्य विहार की स्थापना हेतु।

अमित सिंह बंसल,
जिलाधिकारी, बांदा।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञा

09 जुलाई, 2020 ई0

सं0 822 (iv)/डी0एल0आर0सी0-उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम पनैठी में थानों पर पकड़े जाने वाली गाड़ियों को इकट्ठा करके शहर के बाहर एक स्थान पर यार्ड बनाये जाने हेतु गृह विभाग (उ0प्र0) के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूं। यह भूमि गृह विभाग (उ0प्र0) के निवर्तन पर रहेगी। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	कोल	पनैठी	31-मि0	हेक्टेयर 1.152	6-4 ऊसर	थानों पर पकड़े जाने वाली गाड़ियों को यार्ड बनाकर रखे जाने हेतु। गृह विभाग (उ0प्र0)।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञा

14 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2013/डी0एल0आर0सी0/2020-शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न सूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भदोही	भदोही	भदोही	पिपरीस	4197	हेक्टेयर 0.506	ऊसर	नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन (सालिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट भदोही हेतु)।
					4217	1.846		
					4222	0.507		
					4199	0.114		
					4341	1.027		

राजेन्द्र प्रसाद,
जिलाधिकारी, भदोही।

कार्यालय, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

03 जुलाई, 2020 ई0

सं0 स्था0-2-वा0क0अ0-पदोन्नति-2019-20/655/वाणिज्य कर सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्रांक 18 (iv)/02/पी/एस-5/2019-20, दिनांक 22 जून, 2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के क्रम में, निम्नांकित कार्मिकों को

चयन वर्ष 2019-20 के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रु0 47,600-1,51,100) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :

क्र0 सं0	संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक	चयनित कार्मिक का नाम	संवर्ग
1	2	3	4
		सर्वश्री/श्रीमती-	
1	349	रामरहस्य	आशुलिपिक
2	350	रमेश प्रसाद	उक्त
3	352	जयलाल	उक्त
4	354	रामकेश	उक्त
5	1202	अमित श्रीवास्तव	लिपिक
6	1203	अशोक कुमार श्रीवास्तव	उक्त
7	1205	अशोक कुमार त्रिपाठी	उक्त
8	1207	राजीव कुमार मिश्रा	उक्त
9	1208	काशी राम वर्मा	उक्त
10	1209	वकी उल्लाह खॉन	उक्त
11	1212	राजेश प्रताप सिंह	उक्त
12	1214	अशोक कुमार शर्मा	उक्त
13	1215	भानु प्रताप	उक्त
14	1216	ज्ञान प्रकाश गुप्ता	उक्त

(क) उपर्युक्त अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में यथा समय बाद में नियमानुसार प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

(ख) उक्त नव पदोन्नत अधिकारियों को सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर/जवाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर अपने कार्यालय में वर्तमान तैनाती के स्थान पर इस प्रतिबन्ध के साथ तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने का कष्ट करें कि वह अग्रिम तैनाती के आदेशों तक अपने जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 के निर्देशानुसार वर्तमान तैनाती के स्थान पर पूर्ववत कार्य करते रहेंगे।

(ग) उक्त अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ायी भी जा सकती है।

(घ) उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आधारभूत/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किये जाने पर यदि कोई अधिकारी प्रश्नगत प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होगा तो यह माना जायेगा कि वह वाणिज्य कर अधिकारी के पद का कार्य, आवश्यक क्षमता व ज्ञान के साथ करने का इच्छुक नहीं है और उन्हें तत्काल प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। आधाभूत/व्यावहारिक प्रशिक्षण, वाणिज्य कर अधिकारी के पद के दायित्वों का दक्षता से निर्वहन किये जाने हेतु अत्यन्त आवश्यक है और इसमें नामित किसी भी अधिकारी को इससे किसी भी आधार पर न तो छूट मिलेगी न ही अगले कोर्स में भाग लेने का प्रार्थना को माना जायेगा।

(च) उक्त आदेश के क्रमांक 07 पर अंकित श्री अशोक कुमार त्रिपाठी (ज्येष्ठता क्रमांक 1205) की पदोन्नति शासन के पत्र संख्या 79/11-3-2020-103/18, दिनांक 21 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में तदर्थ रूप से कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों द्वारा संशोधित तिथि से विनियमित किये जाने के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं 18182/SS/2018, 18445/SS/2019, 18837/SS/2019, 18908/SS/2019, 20316/SS/2019, 18167/SS/2019 आदि में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

(छ) उक्त सभी पदोन्नतियां रिट या0सं0 61917/2008 बाबू खां बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन सशर्त जारी की जा रही है।

अमृता सोनी,
कमिश्नर।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-6

अधिसूचना

15 जुलाई, 2020 ई0

सं0 184/11-6-2020-एम(46)/2017-उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :

उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन)

(छठवां संशोधन) नियमावली, 2020

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम 17 का संशोधन- उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम- 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

17-(1) **शुल्क**-लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये शुल्क निम्नलिखित होगा-

क्र0सं0		शुल्क
(एक)	वीडियो चलचित्र, जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित हैं।	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 5,000.00 रुपये
(दो)	होटल	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर, प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 2,500.00 रुपये।
(तीन)	सार्वजनिक सेवा यान	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 2,500.00 रुपये।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

17-(1) **शुल्क**-लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये शुल्क निम्नलिखित होगा-

क्र0सं0		शुल्क
(एक)	वीडियो चलचित्र, जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित है।	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 5,000.00 रुपये। परन्तु यह कि किसी केबिल टेलीवीजन नेटवर्क के माध्यम से वीडियो द्वारा स्थानीय चैनल प्रदर्शित किये जाने के माामले में प्रति वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 10,000.00 रुपये लाइसेंस फीस उद्गृहीत की जायेगी।
(दो)	होटल	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर, प्रति वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 2,500.00 रुपये।
(तीन)	सार्वजनिक सेवा यान	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 2,500.00 रुपये।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
क्र0सं0	शुल्क	क्र0सं0	शुल्क
(चार) किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र- (क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भिक एक वर्ष की अवधि तक लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।	(चार) किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र- (क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भिक अवधि या एक वर्ष की अवधि तक नया लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।
(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।	(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिये।	प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200.00 रुपये।
(2) यदि कोई ऐसा प्रबन्ध हो, जहॉ अनेक भिन्न-भिन्न टेलीविजन स्क्रीनों, या संयोजनों, वीडियो स्क्रीन या वीडियो स्कोप पर कोई प्रदर्शन वीडियो या केबिल सेवाओं द्वारा किया जाये, वहां उक्त साधित्र द्वारा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, प्रदर्शित ऐसे प्रत्येक स्क्रीन/प्रति संयोजन के लिये प्रति वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 100.00 रुपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क उदगृहीत किया जायेगा।		(2) यदि कोई ऐसा प्रबन्ध हो, जहॉ अनेक भिन्न-भिन्न टेलीविजन स्क्रीनों, वीडियो स्क्रीनों या वीडियो स्कोप पर कोई प्रदर्शन वीडियो द्वारा किया जाये, वहां उक्त साधित्र द्वारा, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये, प्रदर्शित ऐसे प्रत्येक स्क्रीन के लिये प्रति वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए 100.00 रुपये का अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क उदगृहीत किया जायेगा। परन्तु यह कि किसी केबिल टेलीवीजन नेटवर्क के माध्यम से वीडियो या किसी अन्य साधित्र द्वारा स्थानीय चैनल प्रदर्शित किये जाने के मामले में उप नियम (2) का उपबन्ध लागू नहीं होगा।	

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **184/11-6-2020/M(46)/2017,** Lucknow dated 15 July, 2020:

No. 184/11-6-2020/M(46)/2017

July 15, 2020

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of Exhibition by means of video) Rules, 1988 :

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION OF EXHIBITION BY MEANS OF VIDEO) (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of exhibition by means of Video) (Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of Rule 17–In the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of exhibition by means of Video) Rules, 1988, for rule 17 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column I *Existing rule* *Fees*: (1) The fee for grant or renewal of licence shall be as follows :		Column II *Rule as hereby substituted* *Fees*: (1) The fee for grant or renewal of licence shall be as follows :	
Number of Seats	*Fee*	*Number of Seats*	*Fee*
(i) Video Cinema including exhibition by means of video in case of a cable television network.	Rs. 5,000.00 for every financial year or part thereof per video cassette player.	(i) Video Cinema including exhibition by means of video in case of a cable television network.	Rs. 5,000.00 for every financial year or part thereof per video cassette player: Provided that in the case of local channel exhibited through any cable television network by means of video, Rs. 10,000.00 for every financial year or part thereof, licence fees shall be levied.
(ii) Hotel	Rs. 2,500 per financial year or part thereof per video cassette player.	(ii) Hotel	Rs. 2,500 per financial year or part thereof per video cassette player.
(iii) Public Service Vehicle.	Rs. 2,500 per financial year or part thereof .	(iii) Public Service Vehicle.	Rs. 2,500 per financial year or part thereof .
(iv) Traveling Video Cinema in alocal area.		(iv) Traveling Video Cinema in alocal area.	
(a) for the grant of new licence and its renewal upto initial period or one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.	*(a)* for the grant of new licence and its renewal upto initial period or one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.

Column I *Existing rule*		Column II *Rule as hereby substituted*	
Number of Seats	*Fee*	*Number of Seats*	*Fee*
(b) for the grant or renewal of licence in continuation after expiry of one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.	*(b)* for the grant or renewal of licence in continuation after expiry of one year from the start of the video cinema in that local area.	Rs. 200 per month or part thereof.
(2) In case there is any such arrangement where exhibition is given by means of video on a number of different television screens, video screens or video scope, an additional licence fees of Rupees 100 per year or part thereof, shall be levied, for each such screen, fed by the said apparatus, by whatsoever name it may be called.		(2) In case there is any such arrangement where exhibition is given by means of video on a number of different television screens, video screens or video scope, an additional licence fees of Rupees 100 per year or part thereof, shall be levied, for each such screen, fed by the said apparatus, by whatsoever name it may be called: Provided that in the case of local channel exhibited through any cable television network by means of video or any other device, the provision of sub-rule (2) shall not apply.	

By order,
ALOK SINHA,
Add. Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0–19 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 8 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 17, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

16 मार्च, 2020 ई0

सं0 1572/21ए-08 (2019-20)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथासंशोधित 1994 की धारा 239 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, लखनऊ ने जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्रियों आदि को नियन्त्रित करने सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या 2646/21-ए-60 (95-96), दिनांक 31 जुलाई, 1997 द्वारा स्वीकृत एवं उ0प्र0 राजकीय गजट दिनांक 20 सितम्बर, 1997 में प्रकाशित लाइसेंस उपविधि की धारा-8 में संशोधन किया गया है जिसकी पुष्टि आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत की है। यह संशोधन उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू होगा :

उपविधि की धारा-8

तालिका

क्र0सं0	विवरण फैक्ट्री	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	ह्यूमपाइप, स्टीलरोलिंग एवं पाइप इण्डस्ट्रीज	3,000.00	8,000.00
2	सरिया बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00	10,000.00
3	आटो मोबाइल फैक्ट्री	3,000.00	8,000.00
4	मशीनों के कल पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	2,000.00	5,000.00
5	पंखा सिलाई मशीन कूलर आदि बनाने की फैक्ट्री	2,000.00	3,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
6	एअर कंडीशनर बनाने की फैक्ट्री	3,000.00	6,000.00
7	आईस फैक्ट्री	1,000.00	3,000.00
8	कोल्ड स्टोरेज	3,000.00	8,000.00
9	दवा का कारखाना	2,000.00	4,000.00
10	कैमिकल्स का कारखाना	2,000.00	4,000.00
11	गैस भरने की फैक्ट्री	2,000.00	3,000.00
12	खाद्य तेल मिल	2,000.00	4,000.00
13	राईस मिल्स	2,000.00	5,000.00
14	पालेसर	1,000.00	2,000.00
15	जूट सन प्लास्टिक नायलान बनाने का कारखाना	1,000.00	2,000.00
16	खांडसारी सलफर प्लान्ट	2,000.00	4,000.00
17	चीनी मिल्स	3,000.00	8,000.00
18	दूध डेरी	1,000.00	3,000.00
19	दफ्ती कारखाना	1,000.00	2,000.00
20	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	1,000.00	2,000.00
21	शीशे बनाने का कारखाना	1,000.00	3,000.00
22	पिपरमेन्ट बनाने का कारखाना	1,000.00	2,000.00
23	बिस्कुट, डबलरोटी का कारखाना	1,000.00	2,000.00
24	मारबल तथा टाइल्स बनाने का कारखाना	3,000.00	5,000.00
25	हार्डबोर्ड तथा प्लाइउड फैक्ट्री	2,000.00	4,000.00
26	शीतल पेय बाटलिंग प्लान्ट	2,000.00	4,000.00
27	बड़े पैमाने की फैक्ट्री/कारखाना जो 10 लाख से अधिक कार्यशील पूंजी से स्थापित एवं संचालित हो	3,000.00	10,000.00
28	छोटे पैमाने की फैक्ट्री/कारखाना जो 10 लाख तक की कार्यशील पूंजी से स्थापित एवं संचालित हो	1,000.00	5,000.00
29	कागज बनाने की फैक्ट्री	—	5,000.00
30	हाट मिक्स प्लान्ट	—	8,000.00
31	सीमेन्ट की फैक्ट्री	—	8,000.00
32	आटा मिल्स (फ्लोर मिल)	—	8,000.00
33	मिल्क प्रोसेसिंग	—	5,000.00
34	साबुन बनाने की फैक्ट्री पर	—	5,000.00
35	मशीनों के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	—	5,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की मिल	—	5,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
37	गत्ते की पैकेट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
38	लकड़ी का कोयला बनाने/कोयला पर	—	3,000.00
39	ट्रक/बस बॉडी बनाने का कारखाना	—	5,000.00
40	हवाई चप्पल/जूता बनाने का कारखाना	—	5,000.00
41	बैट्री बनाने का कारखाना	—	5,000.00
42	पेन्ट बनाने का कारखाना	—	5,000.00
43	अचार/मुरब्बा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
44	ट्राली थ्रेसर बनाने का कारखाना	—	2,000.00
45	बोन मिल	—	3,000.00
46	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	—	8,000.00
47	प्राइवेट क्लीनिक	—	1,000.00
48	नर्सिंग होम छोटा (1 से 20 बेड तक ऊपर)	—	5,000.00
49	रिसोर्ट/रिक्रियेशन क्लब	—	20,000.00
50	होटल/यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था	—	5,000.00
51	मैरिज हाल तथा गेस्ट हाउस	—	10,000.00
52	प्रिटिंग प्रेस आफसेट	—	2,000.00
53	आयरन फैब्रीकेशन	—	2,000.00
54	ट्रैक्टर एजेन्सी	—	10,000.00
55	जीप, कार, मोटर एजेन्सी	—	10,000.00
56	स्कूटर या मोटर साइकिल एजेन्सी	—	6,000.00
57	थ्रेसर मशीन फुटकर एजेन्सी	—	10,000.00
58	ब्रास बैण्ड एण्ड डिस्को रोड लाइट	—	1,000.00
59	कैटल फीडस मुर्गी दाना बनाने का कारखाना	—	10,000.00
60	शराब व बीयर बनाने का कारखाना	—	10,000.00
61	शापिंग मॉल	—	25,000.00
62	फर्नीचर हाउस शोरूम/कारखाना आदि	—	8,000.00

मुकेश कुमार मेश्राम,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पी0एस0यू0पी0—19 हिन्दी गजट—भाग 3—2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 8 अगस्त, 2020 ई० (श्रावण 17, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री साईं पल्सेस 851 केसरवल रोड रनिया, कानपुर देहात की पार्टनरशीप डीड दिनांक 19 सितम्बर, 2015 के संविधान में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के अनुसार फर्म में मिथिलेश कुमार गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से फर्म में शामिल हो गये हैं।

नाम–सन्त कुमार गुप्ता,
पिता का नाम–स्व0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता,
पता–रसूलाबाद, कानपुर देहात, उ0प्र0।

सूचना

"सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अन्नपूर्णा उद्योग हेड आफिस डी-29, पनकी साइट-II, कानपुर नगर की पार्टनरशिप डीड, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 के संविधान में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार फर्म के मुख्य व्यवसाय स्थल में परिवर्तन करके डी-16 पनकी, इंडस्ट्रियल एरिया साइट-II, कानपुर नगर दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से कर दिया गया है।

नाम–विकास गुप्ता,
पिता का नाम–श्री अदेश कुमार गुप्ता,
नि0–128/194, ए-15, के-ब्लाक,
किदवई नगर, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री बांके बिहारी ट्रांसपोर्ट, स्थित 06, अशोक मार्केट, रिठौरा, बरेली उ0प्र0, पिनकोड-243122 (पंजीकरण संख्या-बीएआर/0004452) फर्म में कुल 3 साझेदार-ऋषभ गुप्ता, रतिवेन्द्र सिंह व संतोष कुमार गुप्ता थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 10 जुलाई, 2020 को फर्म में दो नये साझेदार-श्रीमती स्वाति गुप्ता व हरीओम शामिल किये गये हैं तथा फर्म के दो साझेदार रतिवेन्द्र सिंह चौहान व संतोष कुमार गुप्ता फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 10 जुलाई, 2020 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं, अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदारों का फर्म

पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 3 साझेदार-ऋषभ गुप्ता, श्रीमती स्वाति गुप्ता व हरीओम हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हैं एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

ऋषभ गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स श्री बांके बिहारी, ट्रांसपोर्ट,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 जगदम्बा फॉरवर्डिंग एजेन्सी, स्थित देवचरा, जिला बरेली, उ0प्र0, पिनकोड-243401 (पंजीकरण संख्या बी-13784) फर्म में कुल पांच साझेदार अमित कुमार गुप्ता, श्रीमती मीना देवी, अजय कुमार हरिओम सिंह व उदय चौधरी थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 30 जुलाई, 2020 को फर्म में दो नये साझेदार श्रीमती श्वेता गुप्ता पत्नी सचिन गुप्ता व पवन कुमार चौधरी पुत्र गंगाधर चौधरी शामिल किये गये हैं तथा फर्म के चार साझेदार श्रीमती मीना देवी, अजय कुमार, हरिओम सिंह, उदय चौधरी फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 30 जुलाई, 2020 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये हैं, अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदार का फर्म पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेन देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल तीन साझेदार (1) अमित कुमार गुप्ता, (2) श्रीमती श्वेता गुप्ता व (3) पवन कुमार चौधरी हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

अमित कुमार गुप्ता,
साझेदार,
मे0 जगदम्बा फॉरवर्डिंग एजेन्सी,
बरेली।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स विश्वनाथ ट्रेडर्स, स्थित विलेज एण्ड पोस्ट देओरिया कलां, तहसील बीसलपुर, डिस्ट्रिक पीलीभीत, उ0प्र0, पिनकोड-262122 (पंजीकरण संख्या बी–13773) फर्म में कुल तीन साझेदार–विश्वनाथ गुप्ता, हरीश कुमार व अनिल कुमार वर्मा थे तथा फर्म के एक साझेदार अनिल कुमार वर्मा फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 02 जून, 2020 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदार का फर्म पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल दो साझेदार (1) विश्वनाथ गुप्ता (2) हरीश कुमार हैं तथा फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सभी साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 02 जून, 2020 को फर्म के कार्यालय का पता 1/11, आवास विकास कालोनी, शाहजहांपुर, उ0प्र0, पिनकोड 242001 को परिवर्तित करके नया पता–विलेज एण्ड पोस्ट देओरिया कलां, तहसील बीसलपुर, डिस्ट्रिक पीलीभीत, उ0प्र0 पिन कोड 262122 कर लिया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचाकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

विश्वनाथ गुप्ता,
साझेदार,
मैसर्स विश्वनाथ ट्रेडर्स,
पीलीभीत, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी साझीदार फर्म मै0 श्री कृष्णा क्वालिटी सीड्स, बंडा के दो साझीदार श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रेम शंकर अग्रवाल, निवासी M-35, बी0डी0ए0 कालोनी, नैनीताल रोड, बरेली, 243122 एवं शोभित गोयल पुत्र श्री बलराज गोयल, निवासी 34ए, मारवाड़ी गंज, बरेली, 243003, दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को स्वेच्छा से रिटायर हो गये हैं। शेष दो साझीदार श्री विभोर गर्ग पुत्र श्री अनिल कुमार गर्ग, निवासी ए-12 बल्लभ नगर कालोनी, पीलीभीत एवं श्री वैभव गर्ग पुत्र श्री अनिल कुमार गर्ग, निवासी ए-12, बल्लभ नगर कालोनी, पीलीभीत द्वारा फर्म पुर्नगठित कर दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से चलायी जा रही है।

वैभव गर्ग।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मैसर्स गुलशन डेयरी फार्म, सिम्भावली, जिला हापुड़ 245207 की साझीदारी में साझीदारीनामा दिनांक 01 नवम्बर, 2001 के अनुसार मौहम्मद उमर एवं श्री नूर मौहम्मद साझीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को श्री वसीम शादाब चौधरी फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को श्री नूर मौहम्मद फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये हैं। दिनांक 23 अप्रैल, 2020 को श्री फराहीम हुसैन चौधरी एवं श्री तसलीम अहमद चौधरी फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 23 अप्रैल, 2020 को मौहम्मद उमर जी का स्वर्गवास होने के कारण फर्म की साझीदारी में श्री फराहीम हुसैन चौधरी, श्री तसलीम अहमद चौधरी एवं श्री वसीम शादाब चौधरी साझीदार हैं। दिनांक 23 अप्रैल, 2020 के अनुसार साझीदार श्री वसीम शादाब चौधरी का निवास स्थान परिवर्तित "डी-104/13, गली नं0-10, जाकिर नगर, ओखला, दिल्ली-110025" कर दिया गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

वसीम शादाब चौधरी,
साझीदार,
मैसर्स गुलशन डेयरी फार्म,
सिम्भावली, जिला-हापुड-245207।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मैसर्स प्रेम दुलारी कोल्ड स्टोरेज एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0-3227, बुलन्दशहर शिकारपुर रोड, निकट सांईं धाम मन्दिर, जिला बुलन्दशहर-203395 की साझीदारी में श्रीमती राम दुलारी, श्रीमती सुनीता रानी, श्रीमती राजेश्वरी मीना एवं श्री लोकेश कुमार मीना साझीदार थे। दिनांक 17 जनवरी, 2019 को श्रीमती राम दुलारी जी का स्वर्गवास हो चुका है। अब वर्तमान में फर्म में श्रीमती सुनीता रानी, श्रीमती राजेश्वरी मीना एवं श्री लोकेश कुमार मीना साझीदार है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुनीता रानी,
साझीदार,
मैसर्स प्रेम दुलारी, कोल्ड स्टोरेज एण्ड
एलाइड इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0-3227,
बुलन्शहर शिकारपुर रोड, निकट सांईं धाम,
मन्दिर, जिला–बुलन्दशहर–203395।

NOTICE

This is to Declare by the Authorized Partner Parikshit Singh that Partners namely Sri Ram Janam, Smt. Shyam Pyari Devi, Smt. Radhika Devi, Smt. Manju Singh, Smt. Pushpa Lata Singh, Smt. Shashi Bala Singh are retired from the partnership deed after taking their respective shares and now Partners Shri Parikshit Singh, Smt. Tara Singh, Shri Gaurav Singh, Shri Janmejay Singh, Shri Udayan Singh, Smt. Garima Singh are only existing partners as per newly constituted partnership deed dated 01st April, 2015 as per agreed profit/loss ratio as mentioned in the said partnership deed dated 01st April, 2015.

PARIKSHIT.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नेमचन्द कर्णवाल, एन0एच0-58 रुड़की रोड, छपार, जिला मुजफ्फरनगर के श्री अरूण कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश व श्री नेमचन्द कर्णवाल पुत्र मिट्ठन लाल, निवासी गांव छपार, जिला मुजफ्फरनगर साझीदार हैं श्री नेमचन्द कर्णवाल अधिक व्यस्त रहने के कारण फर्म में समय नहीं देने के कारण फर्म से निकल गये हैं। उनके स्थान पर श्री विनय कुमार पुत्र अनिल कुमार साझीदार बन गये हैं।

अरूण कुमार गोयल,
निरन्तर साझीदार,
मैसर्स नेमचन्द कर्णवाल, छपार।

पी0एस0यू0पी0–19 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, प्रयागराज।